राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	उपस्थित अभिभाषकगण का नाम
1.	5960/2022 (919/2022) अनिता शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 3. प्रधानाचार्य, शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, ब्लॉक झोटवाडा, जिला जयपुर। 4. सीमा सोनी, वरिष्ठ अध्यापक (गणित) स्थानान्तरणाधीन शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, ब्लॉक झोटवाडा, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी, तुंगा, जयपुर।	श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता निजी प्रत्यर्थी सं.4 की ओर
2.	5560/2022 (722/2022) सीमा सोनी	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 3. प्रधानाचार्य, शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा, स्कीम जयपुर। 4. अनिता शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक गणित स्थानान्तरणाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर सेक्टर–13, से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी, जिला जयपुर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता, निजी प्रत्यर्थी सं.4 की ओर से

आदेश की दिनांक : 14.12.2022

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त दोनों अपीलों में विधि का समान प्रश्न निहित होने के आधार पर हम उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल आदेश के द्वारा करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

2. अपील संख्या 5960/2022 की अपीलार्थी अनिता शर्मा ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ,बस्सी, जयपुर में किया गया है।

3. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 16 दिवस की अल्पावधि में किया गया है, जो केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के आशय से पारित किया गया है।

4. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अपील में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 15.11.2022 के द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में विवादग्रस्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 01.11.2022 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।

5. इस अपील में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 सीमा सोनी की ओर से एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 15.11.2022 को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा निजी प्रत्यर्थी की ओर से अपील का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। निजी प्रत्यर्थी ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी ने केवल मात्र अल्पावधि का अधार लेते हुए उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो पूर्ण रूप से गलत है, जबकि सही तथ्य यह है कि आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, सैक्टर 13 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करणगढ, बस्सी तूंगा, जिला जयपुर में स्थानान्तरण किया गया था। दिनांक 07.12.2016 से मालवीय नगर सैक्टर 13 में अपीलार्थी 6 वर्ष तक पदस्थापित रहीं है तथा उससे पूर्व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मान्यावास, सांगानेर में तथा जयपुर में दिनांक 22.09.2004 से लगातार पदस्थापित है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 24.09.2022 के आदेशों की पालना नहीं की तथा आदेश दिनांक 11.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, सैक्टर 13 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ बस्सी, तूंगा में स्थानान्तरणाधीन मानते हुए शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया तथा अपीलार्थी को एडजस्ट करने के लिए उक्त आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

करणगढ, बस्सी, जिला जयपुर में स्थानान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरदाता ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 5560/2022 प्रस्तुत की। जिसमें माननीय अधिकरण ने दिनांक 19.10.2022 को स्थगन आदेश जारी किया। जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से अपीलार्थी को है। उक्त स्थगन आदेश की पालना में उत्तरदाता यथावत शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के स्वयं के द्वारा पूर्व के स्थानान्तरण आदेशों की पालना नहीं करने के कारण तथा उत्तरदाता के पक्ष में स्थगन आदेश व उत्तरदाता की विकलांगता व बीमारी को देखते हुए अपीलार्थी का यथावत पदस्थापन रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधि विरूद्धता नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से भी इस अपील में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक का पद धारित करता है, जिसका स्थानान्तरण संभाग में कहीं पर भी किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपीलार्थी के नियोजक है तथा नियोक्ता को यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता में सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसके लिये अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी दिया गया है। जिसमें अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमायी जावे।

7. हमनें विद्वान् अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. अपील संख्या 5560/2022 (722/2022) की अपीलार्थी सीमा सोनी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि उन्हें स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.10.2022 के द्वारा शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी, जयपुर में पदस्थापित किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी अनिता शर्मा (अपील संख्या 5960/2022 की अपीलार्थी) का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर,

सैक्टर–13, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी, जयपुर में स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर में किया गया है।

9. उक्त अपील में अपीलार्थी सीमा सोनी के पक्ष में दिनांक 19.10.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश इस अधिकरण द्वारा पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी सीमा सोनी की सीमा तक अधिकरण के आगामी आदेश तक आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2022 को स्थगित किया गया।

10. इस प्रकार दोनों ही अपीलों में अपीलार्थीगण के पक्ष में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप दोनों ही अपीलार्थी शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में कार्यरत हो गये।

11. दोनों ही प्रकरणों के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी अनिता शर्मा दिनांक 07.12.2016 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, सैक्टर–13, जयपुर में कार्यरत है और अनिता शर्मा का पूर्व में आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, सैक्टर–13, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी अनिता शर्मा ने यह तथ्य अपनी अपील में अंकित नहीं किये है। उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 की पालना में अपीलार्थी द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया एवं उसके द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। बाद में अपीलार्थी के सम्बन्ध में नवीन स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.10.2022 पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए अपीलार्थी अनिता शर्मा को शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में स्थानान्तरित किया गया है। जहां पर अनिता शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इसी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.10.2022 के द्वारा सीमा सोनी का भी स्थानान्तरण शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी में किया गया है। जहां पर पूर्व में

अनिता शर्मा का स्थानान्तरण किया गया था। इससे प्रकट होता है कि अनिता शर्मा का करणगढ, बस्सी जयपुर में स्थानान्तरण किया गया था, वह वहां पर नहीं गयी अपितु उसे पश्चात्वर्ती आदेश से जयपुर में ही रखकर सीमा सोनी को उसके स्थान पर भेजा गया है। ऐसे में स्पष्ट रूप से अनिता शर्मा को लाभ देने के आशय से उसके स्थान पर सीमा सोनी को स्थानान्तरित किया जाना प्रकट होता है।

12. प्रत्यर्थी विभाग ने बाद में पुनः स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 को पारित करते हुए अनिता शर्मा को पुनः उसी स्थान पर स्थानान्तरित किया है, जिस स्थान पर पूर्व में उसे दिनांक 24.09.2022 के द्वारा स्थानान्तरित किया गया था एवं सीमा सोनी को अपने पूर्व के स्थान शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर में स्थानान्तरित किया गया है।

13. इस अधिकरण के समक्ष यह भी प्रकट हुआ है कि सीमा सेानी स्थायी रूप से विकलांग है, जिसने अपनी स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी सीमा सोनी के विकलांग होने के तथ्य के दृष्टिगत अपीलार्थी सीमा सोनी को उसे उसी के पूर्व के पदस्थापित स्थान पर शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर स्थानान्तरित किया जाना उचित है।

14. जहां तक अपीलार्थी अनित शर्मा का प्रश्न है उसे पूर्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करणगढ, बस्सी में स्थानान्तरित किया गया है। वर्तमान आलोच्य आदेश से भी उसे उसी स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। ऐसे में दोनों अपीलों में आये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी अनिता शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 5960/2022 (919/2022) सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलार्थी अनिता शर्मा के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.11.2022 को निरस्त किया जाता है।

15. जहां तक सीमा सोनी की अपील संख्या 5560/2022 (722/2022) का प्रश्न है। इस अपील में अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.10.2022 को चुनौती दी गयी थी, जिसके पश्चात नवीन स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा सीमा सोनी को पुनः शहीद हिम्मत सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में स्थानान्तरित किया जा चुका है। ऐसे में अपील संख्या

5560/2022 (722/2022) निष्फल हो चुकी है। अतः अपीलार्थी सीमा सोनी द्वारा प्रस्तुत अपील निष्फल हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

16. मूल आदेश की प्रति 5960/2022 में एवं छाया प्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)